

# NEXT IAS

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 17-03-2026

### विषय सूची

भारत अपनी पांडुलिपि धरोहर का मानचित्रण प्रारंभ करेगा  
मुंबई महापौर की कार से 'VIP संस्कृति' विवाद के बाद बीकन हटाए गए"  
संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आईपीओ मार्ग की सिफारिश  
वित्त उद्योग पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव  
भारतीय रसोईघरों का विद्युतीकरण  
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): फॉरेस्ट फाइनेंस का एक नया मॉडल

### संक्षिप्त समाचार

ट्राइबल आर्ट्स इन कन्वर्सेशन  
नॉर'वेस्टर सीज़न (Nor'wester Season)  
फुजैराह बंदरगाह  
NMDC लौह अयस्क उत्पादन  
गाइनैड्रोमॉर्फ़ी (Gynandromorphy)  
भारत की प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR1) – नागोया प्रोटोकॉल  
पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन शुरू

## भारत अपनी पांडुलिपि धरोहर का मानचित्रण प्रारंभ करेगा

### संदर्भ

- संस्कृति मंत्रालय ने भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर का मानचित्रण करने हेतु प्रथम बार तीन माह का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण प्रारंभ किया है।
  - यह पहल ज्ञान भारतम् मिशन का हिस्सा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।

### ज्ञान भारतम् मिशन

- ज्ञान भारतम् मिशन:** यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि धरोहर और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण तथा प्रसार करना है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना भी की जाएगी।
- इस पहल को समर्थन देने हेतु स्थायी वित्त समिति (SFC) ने वर्ष 2025 से 2031 की अवधि के लिए ₹491.66 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

#### The Five Pillars of Gyan Bharatam

Ancient manuscripts are fragile, living testaments. Here's how we protect, preserve, and share them with the world.



**Survey & Cataloguing**  
Mapping and recording manuscripts across India, along with implementing Standardized National Surveys for manuscript identification.



**Conservation & Capacity Building**  
Conserving manuscripts through scientific methods for preservation while training experts to care for them.



**Technology & Digitization**  
Digitizing and protecting manuscripts with smart, sustainable technology for the future.



**Linguistics & Translation**  
Working with academician & scholars to bring to decode ancient manuscripts to life through translation and transliteration.



**Research, Outreach & Publication**  
Studying and sharing knowledge of manuscripts through publication of critically edited manuscripts.

### पहल का महत्व

- धरोहर संरक्षण:** डिजिटलीकरण और प्रलेखन से संवेदनशील पांडुलिपियों को क्षरण और नष्ट होने से बचाया जा सकेगा।
- अनुसंधान सुलभता:** केंद्रीकृत भंडार से विद्वानों और आमजन के लिए पहुँच आसान होगी।
- बौद्धिक चोरी पर रोक:** उचित अभिलेख और मेटाडेटा से प्रामाणिकता स्थापित होगी तथा दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
- सांस्कृतिक पुनरुत्थान:** अधिक दृश्यता से भारत की साहित्यिक और ज्ञान परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा।

### पांडुलिपियाँ क्या हैं?

- पांडुलिपि वह हस्तलिखित रचना है जो ताड़पत्र, भोजपत्र, वस्त्र, कागज अथवा धातु जैसी सामग्रियों पर लिखी जाती है, और जिसकी आयु कम-से-कम पचहत्तर वर्ष हो। इसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक अथवा सौंदर्यात्मक महत्व निहित होता है।
- यह भारत की सांस्कृतिक चेतना और ज्ञान प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती है।
- भारत में सबसे प्राचीन जीवित पांडुलिपि संग्रह गिलगिट पांडुलिपियाँ हैं, जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। ये गुप्त ब्राह्मी और उत्तर-गुप्त ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं।
- इनमें बौद्ध ग्रंथ सम्मिलित हैं जो संस्कृत, चीनी, कोरियाई, जापानी, मंगोलियाई, मंचू और तिब्बती धर्म-दर्शन साहित्य के विकास पर प्रकाश डालते हैं।

### पांडुलिपि धरोहर संरक्षण हेतु अन्य उपाय

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (2003):** इसने अपनी महत्वाकांक्षी डिजिटल भंडार कृति संपदा के माध्यम से 44.07 लाख से अधिक पांडुलिपियों का प्रलेखन किया है।
- अभिलेख पटल:** राष्ट्रीय अभिलेखागार की पहल, जिसके अंतर्गत एक मिलियन से अधिक अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिनमें पांडुलिपियाँ, प्राच्य अभिलेख और निजी पत्र शामिल हैं।
- ज्ञान-सेतु:** यह एक राष्ट्रीय चुनौती है, जिसका उद्देश्य एआई-आधारित समाधान विकसित करना है ताकि पांडुलिपियों का संरक्षण, व्याख्या, पुनर्स्थापन और पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- प्राचीन वस्तुएँ एवं कला निधि अधिनियम, 1972:** इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर, विशेषकर मूल्यवान पांडुलिपियों के अवैध निर्यात और तस्करी को रोकना है।
  - पांडुलिपियाँ और अभिलेख यदि कम-से-कम 75 वर्ष पुराने हों तो वे प्राचीन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं।
- यूनेस्को 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम:** यह दुर्लभ पांडुलिपियों सहित दस्तावेजी धरोहर के संरक्षण को मान्यता और प्रोत्साहन देता है।

### राष्ट्रीय अभिलेखागार

- राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में कोलकाता (कलकत्ता) में *इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग* के रूप में हुई थी।
- 1911 में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के पश्चात 1926 में इसका भवन सर एडविन लुटियन्स द्वारा निर्मित किया गया।
  - 1937 में सभी अभिलेखों का स्थानांतरण नई दिल्ली में पूर्ण हुआ।
- यह अभिलेखागार सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के क्रियान्वयन की प्रमुख एजेंसी भी है।

Source: TOI

### मुंबई महापौर की कार से 'VIP संस्कृति' विवाद के बाद बीकन हटाए गए

#### संदर्भ

- भारत में VIP संस्कृति पर हालिया परिचर्चा यह दर्शाती है कि समानता के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पदानुक्रमित मानसिकता अब भी जन-व्यवहार को प्रभावित करती है।
  - VVIP काफिले, लाल बत्ती और नौकरशाही चापलूसी जैसी प्रथाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों के गहरे विकृतिकरण को प्रतिबिंबित करती हैं।

#### VIP संस्कृति

- VIP संस्कृति उस प्रथा को संदर्भित करती है जिसमें राजनीतिक पद, उच्च प्रशासनिक पद या प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों में विशेषाधिकार एवं प्राथमिकता प्राप्त होती है।

#### आधुनिक भारत में VIP संस्कृति की स्थिरता

- यद्यपि राजसी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, फिर भी VIP संस्कृति विशेषकर राजनेताओं में बनी रही। यह औपनिवेशिक नौकरशाही और सामंती पदानुक्रम की विरासत है।
- उदाहरण:**
  - बड़े मोटरकाफिले जो यातायात बाधित करते हैं।

- हवाई अड्डों, टोल और सार्वजनिक कार्यालयों में विशेष सुविधा।
- राजनीतिक दौरो के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कारण सड़कों का अवरोध।
- लोकलसर्वकल्स के सर्वेक्षण के निष्कर्ष:**
  - 64% उत्तरदाताओं का मानना है कि हाल के वर्षों में VIP संस्कृति में कमी नहीं आई।
  - 91% ने सार्वजनिक स्थलों पर VIP विशेषाधिकार देखा।
  - 83% ने सरकारी कार्यालयों में इसका अनुभव किया।

#### विशेषाधिकारों का उन्मूलन (1971)

- भारत के संविधान के 26वें संशोधन (1971) के साथ विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।
- मुख्य परिणाम:**
  - प्रिवी पर्स समाप्त।
  - राजसी उपाधियों का निरसन।
  - राजसी ध्वज, तोपों की सलामी और औपचारिक प्राथमिकता का अंत।
  - राजसी वाहनों को सामान्य आरटीओ नंबर प्लेट का पालन करना पड़ा।
  - पूर्व शासक सामान्य नागरिकों की तरह मोटर वाहन अधिनियम के अधीन हो गए।
- संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 18 भारत में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है और समानता सुनिश्चित करने तथा सम्मानसूचक उपाधियों पर आधारित पदानुक्रमित समाज की रोकथाम का उद्देश्य रखता है।

#### VIP संस्कृति लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है

- समानता के सिद्धांत का उल्लंघन:** यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण के संवैधानिक सिद्धांत का विरोधाभास है।
  - विशेष व्यवहार:** राजनेताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता देने से यह धारणा बनती है कि कुछ नागरिक कानून से ऊपर हैं।
- जन-असुविधा का सामान्यीकरण:** VIP आवागमन से होने वाली दैनिक बाधाएँ समान नागरिकता के सिद्धांत को कमजोर करती हैं।

- **संस्थागत चापलूसी:** अधिकार के प्रति अत्यधिक सम्मान योग्यता, निष्पक्षता और प्रशासनिक ईमानदारी को कमजोर करता है।
- **सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग:** इसमें सरकारी वाहन, सुरक्षा कर्मी, एस्कॉर्ट और अधोसंरचना का व्यापक उपयोग शामिल है।
- **संस्थाओं में जन-विश्वास का क्षरण:** जब नागरिक राजनीतिक अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त करते देखते हैं तो असंतोष, भ्रष्टाचार की धारणा और शक्ति के दुरुपयोग का विश्वास उत्पन्न होता है।
- **नैतिक आयाम:** विनम्रता रहित शक्ति अहंकार को जन्म देती है; जवाबदेही रहित अधिकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है; सेवा के स्थान पर पद-स्थिति नैतिक पतन का कारण बनती है।

### सरकारी पहल

- **वाहनों पर लाल बत्ती (लाल बत्ती संस्कृति) पर प्रतिबंध:** 2017 में सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों से लाल बत्ती हटाने का निर्णय लिया।
- **सुरक्षा कवच का विनियमन:** राजनेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था खतरे की धारणा के आधार पर विनियमित की जाती है।
  - Z+, Z, Y और X जैसी श्रेणियों की समय-समय पर समीक्षा होती है।
  - उद्देश्य है कि सुरक्षा आवश्यकता के आधार पर दी जाए, न कि पद या प्रभाव के आधार पर।
- **डिजिटलीकरण और पारदर्शी शासन:** ऑनलाइन सेवाएँ और डिजिटल शासन सरकारी कार्यालयों में विशेषाधिकार प्राप्त करने की संभावनाओं को कम करते हैं।

### VIP संस्कृति को कम करने के उपाय

- **नियमों का समान प्रवर्तन:** विशेषाधिकारों के दुरुपयोग पर दंड; यातायात अवरोध केवल वास्तविक सुरक्षा आवश्यकताओं तक सीमित।
- **नौकरशाही का व्यावसायीकरण:** नैतिकता, निष्पक्षता और संस्थागत आचरण पर प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।

- **शक्ति के प्रतीकों की सीमा:** बीकन, काफिले और अन्य पद-चिह्नों का कठोर विनियमन।
- **उदाहरण द्वारा नेतृत्व:** शीर्ष अधिकारियों का विनम्र आचरण संस्थागत संस्कृति को पुनः आकार दे सकता है।

Source: TH

## संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आईपीओ मार्ग की सिफारिश

### संदर्भ

- संसदीय वित्त स्थायी समिति ने लाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के आईपीओ जारी करने की सिफारिश की है ताकि बाजार पूंजी एकत्रित की जा सके और कॉर्पोरेट सुशासन को सुदृढ़ किया जा सके।

### समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **आईपीओ प्रोत्साहन:** अत्यधिक लाभकारी RRBs को सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाना चाहिए ताकि बाजार पूंजी एकत्रित की जा सके, बेहतर सुशासन लागू हो और संशोधित 1976 RRBs अधिनियम के अनुसार केंद्र-प्रायोजक की हिस्सेदारी 51% से अधिक बनी रहे।
- **जोखिम शमन:** ₹7.5 लाख तक के बिना संपार्श्विक शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना फॉर एजुकेशन लोन (CGFSEL) का पूर्ण उपयोग किया जाए, जिसमें एनसीजीटीसी के माध्यम से 75% सरकारी गारंटी उपलब्ध है।
- **एआई अपनाना:** वास्तविक समय में परिसंपत्ति निगरानी और तनाव पहचान हेतु एआई-आधारित अलर्ट वार्निंग सिग्नल्स लागू किए जाएँ।

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** RRBs की स्थापना 1975 में नरसिंहम कार्यदल की सिफारिशों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत की गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
- **संरचनात्मक समस्याएँ:** विखंडन, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण और उच्च परिचालन लागत ने समय के साथ दक्षता को प्रभावित किया।

- **विलय रणनीति (वन स्टेट, वन RRBs):** व्यवहार्यता सुधार हेतु सरकार ने चरणबद्ध एकीकरण किया।
  - **चरण I (2006–10):** 196 से घटकर 82 RRBs
  - **चरण II (2013–15):** 82 से घटकर 56
  - **चरण III:** 56 से घटकर 43
  - **चरण IV:** 43 से घटकर 28 (26 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में)
- **स्वामित्व संरचना:**
  - **केंद्र सरकार:** 50%
  - **राज्य सरकार:** 15%
  - **प्रायोजक बैंक:** 35%
- **नियमन एवं पर्यवेक्षण:**
  - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अंतर्गत विनियमित।
  - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा पर्यवेक्षित।
  - **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत कर प्रयोजनों हेतु सहकारी समितियों के रूप में माना जाता है।
- **RRBs के बीच असमानता:** सभी RRBs लाभकारी नहीं हैं, जिससे आईपीओ पात्रता सीमित होती है।
- **जटिल त्रिपक्षीय स्वामित्व संरचना (केंद्र-राज्य-प्रायोजक बैंक):** यह निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है।
- **सीमित बाजार आकर्षण:** छोटे, क्षेत्रीय बैंकों की तुलना में बड़े सार्वजनिक/निजी बैंकों के प्रति निवेशकों की अधिक रुचि होती है।

Source: BS

## वित्त उद्योग पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव

### संदर्भ

- यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वित्तीय क्षेत्र को दक्षता बढ़ाकर और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर परिवर्तित कर रही है, साथ ही यह रोजगार, नैतिकता एवं प्रणालीगत जोखिमों से संबंधित चिंताएँ भी उत्पन्न करती है।

### वित्तीय क्षेत्र में एआई: प्रमुख शोध निष्कर्ष

- अमेरिका की लगभग 60% वित्तीय सेवा कंपनियों ने पहले ही एआई समाधान लागू कर दिए हैं या उनका परीक्षण कर रही हैं (PwC सर्वेक्षण, 2023)।
- वैश्विक एआई वित्त बाजार 2030 तक \$64.03 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 23.7% होगी (फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स, 2024)।
- विश्व आर्थिक मंच (2023) के अनुसार:
  - 11 लाख रोजगार वैश्विक स्तर पर समाप्त हो सकते हैं।
  - 13 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो सकती हैं।

### RRBs के लिए आईपीओ मार्ग का महत्व

- बाजार-आधारित पूंजी एकत्रण, विशेषकर जब RRBs ने पहले ही ₹7,720 करोड़ का शुद्ध लाभ (वित्त वर्ष 2025–26 के पहले 9 माह) दर्ज किया है।
- निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करना, जिसे जीएनपीए के 5.4% (13 वर्ष का न्यूनतम) तक घटने और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार से बल मिला है।
- सेबी की सूचीबद्धता मानदंडों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के माध्यम से सुशासन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण विस्तार का समर्थन, क्योंकि RRBs प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (कृषि, एमएसएमई, कमजोर वर्ग) में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- सरकार पर राजकोषीय भार कम करना, पूंजी आवश्यकताओं को बाजार की ओर स्थानांतरित करना।

### चुनौतियाँ / चिंताएँ

- **सामाजिक दायित्व बनाम लाभप्रदता:** लाभ अर्जित करने का दबाव वित्तीय समावेशन पर ध्यान को कम कर सकता है।

### वित्त में एआई के सकारात्मक प्रभाव

- **संचालन दक्षता में वृद्धि:** एआई-संचालित प्रणालियाँ वास्तविक समय में विशाल वित्तीय डेटा का विश्लेषण करती हैं, जिससे निर्णय लेने की गति और सटीकता बढ़ती है।
- मशीन लर्निंग का उपयोग क्रेडिट स्कोरिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में व्यापक रूप से किया जाता है।

- **जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी पहचान में सुधार:** एआई-आधारित विश्लेषण वित्तीय जोखिमों और असामान्यताओं की शीघ्र पहचान में सक्षम है।
  - बिग डेटा और पैटर्न पहचान का उपयोग करके एआई ने ऑडिट गुणवत्ता एवं धोखाधड़ी पहचान दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
  - एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के अनुसार, एआई-आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणालियों ने धोखाधड़ी हानि को 54% तक कम किया है।
- **ग्राहक अनुभव में सुधार:** चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट (24/7 सहायता), व्यक्तिगत उत्पाद अनुशंसाएँ, ग्राहक संतुष्टि और डेटा-आधारित वित्तीय परामर्श के माध्यम से एआई ग्राहक संवाद को बेहतर बनाता है।

### नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ

- **रोजगार विस्थापन:** स्वचालन डेटा प्रविष्टि, बुनियादी वित्तीय विश्लेषण और ग्राहक सेवा जैसी नियमित भूमिकाओं को खतरे में डालता है।
  - मैकिन्ज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट(2022) का अनुमान है कि अमेरिका में 2030 तक 8 लाख तक वित्तीय रोजगार स्वचालित हो सकते हैं।
- **नैतिक चिंताएँ और पक्षपात:** एआई प्रणालियाँ प्रशिक्षण डेटा से पक्षपात ग्रहण कर सकती हैं, जिससे भेदभावपूर्ण ऋण प्रथाएँ और एल्गोरिथ्मिक अपारदर्शिता उत्पन्न होती है।
  - यह निष्पक्षता, जवाबदेही और समावेशिता से संबंधित चिंताएँ उठाता है।
- **साइबर सुरक्षा और प्रणालीगत जोखिम:** एआई प्रणालियाँ साइबर हमलों, डेटा उल्लंघनों और स्वचालित ट्रेडिंग के माध्यम से बाजार हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं।
  - फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) ने बाजार अखंडता और उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने हेतु सशक्त शासन की आवश्यकता पर बल दिया है।

### संबंधित पहल

- **नीति आयोग – राष्ट्रीय एआई रणनीति ('AI फॉर ऑल'):** इसमें वित्तीय सेवाओं को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

- वित्तीय समावेशन, स्मार्ट ऋण प्रणाली, एआई-आधारित धोखाधड़ी पहचान और जिम्मेदार व नैतिक एआई अपनाने को बढ़ावा दिया गया है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पहल:**
  - बैंकों को जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी पहचान हेतु एआई/एमएल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - RBI इनोवेशन हब एआई मॉडल विकसित कर रहा है ताकि म्यूल अकाउंट्स और डिजिटल धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके।
  - RBI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी और नैतिक संवर्धन हेतु ढाँचा (FREE-AI) जारी किया है, जो IndiaAI मिशन के अनुरूप है और एआई अपनाने हेतु “7 सूत्र” प्रदान करता है।
- **डिजिटल इंडिया एवं फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र:**
  - एआई का एकीकरण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), आधार-आधारित KYC, अकाउंट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क के साथ किया गया है।
  - इससे तीव्र ऋण पहुँच, पेपरलेस बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का विस्तार संभव हुआ है।

### आगे की राह

- **नवाचार और जिम्मेदारी का संतुलन:** एआई वित्तीय क्षेत्र के लिए दोधारी तलवार है।
  - यह रोजगार, नैतिकता और सुरक्षा से संबंधित जोखिम उत्पन्न करता है, वहीं दक्षता, सटीकता एवं बेहतर सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- **पुनः कौशल विकास की आवश्यकता:** इस परिवर्तन के लिए सतत् शिक्षण कार्यक्रम, उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी और सरकार-प्रेरित कौशल विकास पहल आवश्यक हैं।
  - समावेशी विकास सुनिश्चित करने और संरचनात्मक बेरोजगारी को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
  - अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (2024–2030) के अनुसार वित्तीय विश्लेषकों और डेटा वैज्ञानिकों के रोजगारों में 16% वृद्धि की संभावना है।
- **नीतिगत सिफारिशें:**
  - पारदर्शी और जवाबदेह एआई प्रणालियाँ सुनिश्चित की जाएँ।

- पक्षपात कम करने हेतु नैतिक एआई ढाँचे को बढ़ावा दिया जाए।
- साइबर सुरक्षा और नियामक निगरानी को सुदृढ़ किया जाए।

Source: TH

## भारतीय रसोईघरों का विद्युतीकरण

### संदर्भ

- पश्चिम एशिया में प्रत्येक तनाव भारतीय परिवारों पर मूल्य-आघात डालता है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत को बड़े पैमाने पर अपने रसोईघरों का विद्युतीकरण करना चाहिए।

### भारत की आवश्यकता: विद्युत रसोई की ओर बदलाव

- **उच्च आयात निर्भरता:** भारत एलपीजी और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे खाना पकाने की ऊर्जा वैश्विक बाजारों और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसी संवेदनशील मार्गों पर निर्भर रहती है।
- **सब्सिडी का बढ़ता राजकोषीय भार:** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं में भारी सरकारी व्यय होता है, जो दीर्घकाल में सतत नहीं है।
- **परिवारों के लिए वहनीयता की समस्या:** बिना सब्सिडी वाला एलपीजी महंगा है, जिसके कारण कई परिवार एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद लकड़ी और गोबर का उपयोग जारी रखते हैं।
- **जलवायु लक्ष्यों का समर्थन:** विद्युतीकरण भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के अनुरूप है, क्योंकि यह सौर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को सक्षम बनाता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता:** बिजली घरेलू रूप से (सौर, पवन) उत्पन्न की जा सकती है, जिससे आयातित ईंधनों पर निर्भरता घटती है।

### विद्युत रसोई का महत्व

- **ऊर्जा दक्षता लाभ:** विद्युत खाना पकाना (इंडक्शन, ईपीसी) लगभग 85% दक्ष है, जबकि एलपीजी लगभग 40% दक्ष है, जिससे कुल ऊर्जा खपत घटती है।
- **स्वच्छ और स्वास्थ्यकर खाना पकाना:** यह बायोमास ईंधन से उत्पन्न इनडोर वायु प्रदूषण को समाप्त

करता है, जिससे विशेषकर महिलाओं और बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है।

- **बिजली की घटती लागत:** इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अध्ययन से पता चलता है कि कई शहरी क्षेत्रों में विद्युत खाना पकाना पहले से ही बिना सब्सिडी वाले एलपीजी से सस्ता है।
- **रूफटॉप सौर के साथ एकीकरण:** पीएम सूर्य घर योजना जैसी सरकारी पहलें परिवारों को अपनी ऊर्जा उत्पन्न और उपभोग करने में सक्षम बनाती हैं।

### चुनौतियाँ

- **ग्रिड पर दबाव:** शाम के चरम समय में विद्युत की बढ़ी हुई माँग ग्रिड पर दबाव डाल सकती है।
- **अवसंरचना की कमी:** कई परिवारों के पास अब भी विश्वसनीय विद्युत या पर्याप्त लोड क्षमता नहीं है।
- **प्रारंभिक लागत:** इंडक्शन चूल्हे, उपयुक्त बर्तन और वायरिंग उन्नयन में प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है।
- **व्यवहारगत बाधाएँ:** भारत में खाना पकाना एक ही बर्तन में नहीं होता, बल्कि एक साथ कई व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिससे विद्युत रसोई कम आकर्षक लगती है।
- **प्रौद्योगिकी सीमाएँ:** वर्तमान इंडक्शन मॉडल लौ-आधारित पकाने की पूरी तरह नकल नहीं कर पाते।
- **नीति एवं पारिस्थितिकी तंत्र की कमी:** स्मार्ट मीटर, डिमांड-रिस्पॉन्स सिस्टम और सहायक टैरिफ का व्यापक अभाव है।

### आगे की राह

- **लक्षित विद्युतीकरण:** शहरी परिवारों से शुरुआत की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी उपलब्ध रहे।
- **वित्तीय समर्थन:** एलपीजी सब्सिडी का एक हिस्सा विद्युत खाना पकाने के उपकरणों हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन में स्थानांतरित किया जाए।
- **ग्रिड आधुनिकीकरण:** स्मार्ट ग्रिड, बैटरी भंडारण और डिमांड-रिस्पॉन्स सिस्टम में निवेश किया जाए।
- **अनुसंधान एवं विकास निवेश:** भारतीय खाना पकाने (बहु-बर्तन, उच्च ताप) के अनुरूप इंडक्शन तकनीक विकसित की जाए।

- **सौर के साथ एकीकरण:** रूफटॉप सौर और बैटरी प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि चरम लोड घटे एवं ऊर्जा व्यापार संभव हो सके।

Source: TH

## ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): फॉरेस्ट फाइनेंस का एक नया मॉडल

### संदर्भ

- बेलें में आयोजित COP30 ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया कि प्रभावी वन संरक्षण के लिए केवल वित्तीय प्रतिबद्धताएँ ही नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण शक्ति का पुनर्वितरण भी आवश्यक है।
- ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) को फॉरेस्ट फाइनेंस का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को रूपांतरित करना है।

### ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर सुविधा (TFFF) क्या है?

- TFFF एक प्रदर्शन-आधारित वित्तीय तंत्र है, जो केवल वनों की कटाई दर को कम करने के बजाय खड़े वनों को बनाए रखने के लिए देशों को पुरस्कृत करने का प्रयास करता है।
  - पारंपरिक दाता-आधारित जलवायु कोषों से भन्नि, TFFF को दीर्घकालिक वन संरक्षण का समर्थन करते हुए वित्तीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस कोष ने पहले ही \$5.5 बिलियन से अधिक की प्रारंभिक प्रतिबद्धताएँ सुरक्षित कर ली हैं, जिनमें नॉर्वे का \$3 बिलियन का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है।
- ढाँचे के अनुसार प्रदर्शन-आधारित भुगतानों का कम-से-कम 20% स्वदेशी जनजातियों और स्थानीय समुदायों को आवंटित किया जाएगा, उनके वन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए।

### TFFF के पीछे का तर्क

- उष्णकटिबंधीय वन, विशेषकर अमेज़न वर्षावन, प्रमुख कार्बन सिंक और जैव विविधता केंद्र हैं, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

- हालाँकि, REDD+ जैसे वर्तमान तंत्र कमजोर परिणामों, अपर्याप्त वित्तपोषण और सीमित सामुदायिक भागीदारी के कारण आलोचना का सामना कर चुके हैं, जिससे फॉरेस्ट फाइनेंस का नया मॉडल आवश्यक हो गया।
- यह कोष वैश्विक जलवायु वित्त में समानता और जलवायु न्याय को समाहित करने का प्रयास करता है, क्योंकि वन संरक्षण प्रयासों ने ऐतिहासिक रूप से उन शक्ति असंतुलनों की उपेक्षा की है जो स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों को हाशिए पर रखते हैं।

### TFFF से संबंधित चिंताएँ

- **सीमित निर्णय-निर्माण शक्ति:** समावेशन के प्रावधानों के बावजूद, स्वदेशी समुदायों को TFFF की मुख्य शासी संस्थाओं में औपचारिक मतदान अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि उनकी भागीदारी परामर्शात्मक ही रह सकती है।
- ग्लोबल फॉरेस्ट कोएलिशन ने TFFF की आलोचना इसे औपनिवेशिक बताते हुए की है, और कहा है कि यह बाज़ार-प्रेरित दृष्टिकोण को दर्शाता है जो पारिस्थितिक न्याय के बजाय वित्तीय प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दे सकता है।
  - यह तर्क दिया गया है कि यह मॉडल वनों की कटाई के संरचनात्मक कारणों जैसे कृषि विस्तार, खनन उद्योग और बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।
- **कमजोर जवाबदेही तंत्र:** TFFF के अंतर्गत कोष वितरण की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

### वन संरक्षण हेतु अन्य उपाय

- **REDD और REDD+ तंत्र:** संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन ने विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन कम करने हेतु REDD को प्रस्तुत किया, जिसे बाद में REDD+ में विस्तारित किया गया ताकि संरक्षण, सतत वन प्रबंधन और वन कार्बन भंडार में वृद्धि को शामिल किया जा सके।
- COP19 में अपनाया गया वारसॉ फ्रेमवर्क REDD+ के कार्यान्वयन हेतु परिचालन संरचना प्रदान करता है।

- **ग्लासगो नेताओं की घोषणा (COP26, 2021):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य 2030 तक वनों की हानि और भूमि क्षरण को रोकना एवं उलटना है।
- **बॉन चैलेंज:** यह एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त और वनों से रहित भूमि का पुनर्स्थापन है। इसका लक्ष्य 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन है, जिससे जलवायु शमन एवं जैव विविधता संरक्षण दोनों में योगदान होगा।

### आगे की राह

- **सामुदायिक शासन को सुदृढ़ करना:** स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को औपचारिक मतदान अधिकार एवं शासन संरचनाओं में सार्थक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- **भूमि अधिकार सुनिश्चित करना:** स्वदेशी और वन-निर्भर समुदायों के भूमि अधिकारों की कानूनी मान्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **जवाबदेही में सुधार:** कोष उपयोग और संरक्षण परिणामों को ट्रैक करने हेतु पारदर्शी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए।
- **वित्तीय मूल्य में वृद्धि:** मुआवजे की दरों को वनों के पूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य को प्रतिबिंबित करने हेतु संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्बन अवशोषण एवं जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं।

Source: TH

## संक्षिप्त समाचार

### ट्राइबल आर्ट्स इन कन्वर्सेशन

#### संदर्भ

- **ट्राइबल आर्ट फेस्ट 2026** का आयोजन नई दिल्ली के **त्रावणकोर पैलेस** में किया गया, जिसमें भारत की समृद्ध जनजातीय कलात्मक धरोहर प्रदर्शित की गई।

#### प्रमुख जनजातीय कला रूप

- **वारली चित्रकला:**
  - उत्पत्ति महाराष्ट्र से, वारली जनजाति द्वारा प्रचलित।

- इसकी जड़ें नवपाषाण काल (2500–3000 ई.पू.) तक जाती हैं।
- **विशेषताएँ:**
  - मृदा की दीवारों पर चावल के लेप से बने सफेद रंग का प्रयोग।
  - मूलभूत ज्यामितीय आकृतियों (वृत्त, त्रिभुज, वर्ग) का उपयोग।
  - **विषय:** कृषि, अनुष्ठान, शिकार और **तारपा नृत्य**।



#### राभा और तामांग मुखौटे:

- मुखौटा-निर्माण असम और उत्तर बंगाल की राभा जनजाति की प्रमुख परंपरा है।
- लकड़ी, बाँस, लौकी या मृदा से बने मुखौटे, जिन्हें चमकीले रंगों से सजाया जाता है।
- देवताओं, आत्माओं, पशुओं और पौराणिक पात्रों का चित्रण; अनुष्ठानिक नृत्यों एवं लोक-नाट्य में प्रयोग।
- हिमालयी क्षेत्र की तामांग समुदाय में भी समान परंपरा।
- **गोंड कला:**
  - उत्पत्ति मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश से।
  - इसे **GI टैग** प्राप्त है, जिससे कानूनी संरक्षण और मान्यता सुनिश्चित होती है।
  - **विशेषताएँ:**
    - बिंदुओं और रेखाओं का प्रयोग कर जटिल पैटर्न बनाना।
    - **विषय:** लोककथाएँ, पशु, वन और पारिस्थितिकी।



#### • भील चित्रकला:

- भील जनजाति द्वारा प्रचलित, जो भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूहों में से एक है (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान)।
- इसे सबसे प्राचीन जनजातीय कला परंपराओं में माना जाता है।
- विशेषताएँ:
  - हजारों रंगीन बिंदुओं का प्रयोग, जो बीज और प्रकृति की लय का प्रतीक हैं।
  - विषय: देवता, पशु, वन और दैनिक जीवन।



स्रोत: PIB

### नॉर'वेस्टर सीज़न(Nor'wester Season)

#### संदर्भ

- हाल ही में एक भीषण नॉर 'वेस्टर सीज़न तूफ़ान ओडिशा में आया।

#### परिचय

- नॉर 'वेस्टर सीज़न (नॉर्थवेस्टर्न का संक्षिप्त रूप) दक्षिण एशिया, विशेषकर पूर्वी भारत और बांग्लादेश में सामान्यतः होने वाला एक हिंसक प्री-मानसून आंधी-तूफ़ान है।
- यह अचानक, अल्पकालिक लेकिन तीव्र तूफ़ान होता है, जो सामान्यतः मार्च से मई के बीच आता है।
- पूर्वी भारत (विशेषकर पश्चिम बंगाल) में इसे स्थानीय रूप से कालबैशाखी कहा जाता है।
- कारण:
  - ग्रीष्म ऋतु में भूमि का तीव्र ताप।
  - जब गर्म, शुष्क वायु ठंडी, आर्द्र वायु से मिलती है तो वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न होती है।
  - गर्म वायु तीव्रता से ऊपर उठती है (संवहन), जिससे क्यूम्युलोनिंबस बादल बनते हैं।
  - परिणाम: भारी वर्षा, तीव्र वायु, बिजली और गर्जन।

स्रोत: AIR

### फुजैराह बंदरगाह

#### संदर्भ

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैरा बंदरगाह पर हाल ही में एक लक्षित ड्रोन हमला हुआ।

#### परिचय

- यह UAE के पूर्वी तट पर स्थित एकमात्र बहुउद्देशीय समुद्री सुविधा है।
- सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि यह होर्मुज जलडमरूमध्य से मात्र 70 नौटिकल मील दूर स्थित है।
- यह यूरोप और एशिया के बीच एक आवश्यक आर्थिक कड़ी प्रदान करता है।

### पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण समाचारों में अन्य बंदरगाह

- रस तनूरा (सऊदी अरब)
- जेबेल अली (UAE)
- उम्म क्रस (इराक)



स्रोत: TOI

## NMDC लौह अयस्क उत्पादन

### संदर्भ

- **NMDC लिमिटेड** भारत की प्रथम खनन कंपनी बन गई है जिसने एक ही वित्तीय वर्ष (FY 2025–26) में 50 मिलियन टन (MT) लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया।

### लौह अयस्क के बारे में

- लौह अयस्क उन चट्टानों और खनिजों को कहा जाता है जिनसे धात्विक लौह निकाला जाता है।
- लौह अयस्क को लौह की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - **मैग्नेटाइट:** सर्वोत्तम गुणवत्ता, >70% लौह।
  - **हीमैटाइट:** सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क, 60–70% लौह।
  - **लिमोनाइट:** निम्न श्रेणी, 40–60% लौह।
  - **साइडराइट:** कमजोर गुणवत्ता, <40% लौह।
- भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन के बाद।
- उत्पादन में ओडिशा अग्रणी है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटक।

### NMDC के बारे में

- **स्थापना:** 1958, भारत के लौह अयस्क संसाधनों के विकास हेतु।
- भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और **नवरत्न सीपीएसई** (इस्पात मंत्रालय के अधीन)।
- उत्पादन ~10 MT (1978) से बढ़कर 50 MT (FY26) तक पहुँचा, जो सतत वृद्धि को दर्शाता है।
- भारत के 2030 तक 300 MT इस्पात उत्पादन क्षमता लक्ष्य का समर्थन करता है।

स्रोत: PIB

## गाइनैन्ड्रोमॉर्फ़ी (Gynandromorphy)

### संदर्भ

- पश्चिमी घाट स्थित **साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान** में **वेल काली** नामक एक स्वच्छ जल के केकड़े में **गाइनैन्ड्रोमॉर्फ़ी** का दुर्लभ मामला दर्ज किया गया है।

### गाइनैन्ड्रोमॉर्फ़ी क्या है?

- गाइनैन्ड्रोमॉर्फ़ी उस स्थिति को कहते हैं जब एक ही जीव में नर और मादा दोनों के लक्षण उपस्थित हों।
- यह उत्पन्न होता है:
  - कोशिका विभाजन (माइटोसिस/मियोसिस) में त्रुटियों से।
  - प्रारंभिक विकास के दौरान गुणसूत्रीय असामान्यताओं से।
- यह भिन्न है:
  - **हर्माफ्रोडिटिज़्म:** जीव में दोनों लिंगों के कार्यात्मक प्रजनन अंग होते हैं।
  - **इंटरसेक्स स्थिति:** मिश्रित यौन लक्षण होते हैं, परंतु स्पष्ट नर/मादा आधे नहीं।

### साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान

- **स्थान:** नीलगिरि पर्वत, केरला।
- 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित, 1985 में औपचारिक उद्घाटन।
- **भवानी नदी** (कावेरी की सहायक) और **कुंथिपुझा नदी** (भरतपुझा की सहायक) यहाँ से उत्पन्न होती हैं।
- उद्यान क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख जनजातीय समूह: इरुलास, कुरुम्बास, मुदुगास और कट्टुनायकसी।

स्रोत: TH

## भारत की प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR1) – नागोया प्रोटोकॉल

### समाचार में

- भारत ने हाल ही में **नागोया प्रोटोकॉल** के क्रियान्वयन पर अपनी प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR1) **CBD सचिवालय** को प्रस्तुत की, जो जैव विविधता शासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

### परिचय

- रिपोर्ट **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण** के सहयोग से

तैयार की गई, जो नवंबर 2017 से दिसंबर 2025 की अवधि को कवर करती है।

- इस अवधि में भारत ने 12,830 पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS) अनुमोदन जारी किए:
  - 5,913 अनुमोदन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा।
  - 6,917 अनुमोदन राज्य जैव विविधता बोर्डों/केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों द्वारा।

### नागोया प्रोटोकॉल क्या है?

- 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी।
- यह आनुवंशिक संसाधनों तक निष्पक्ष पहुँच और लाभ-साझेदारी (आर्थिक या गैर-आर्थिक) सुनिश्चित करता है, पूर्व-सूचित सहमति एवं परस्पर सहमत शर्तों के माध्यम से।
- भारत ने 2012 में इसे अनुमोदित किया, अपने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुरूप।

### भारत का ढाँचा

- भारत का ABS ढाँचा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत संचालित होता है, जिसे जैव विविधता नियम, 2024 और ABS विनियम, 2025 द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- **तीन-स्तरीय संस्थागत संरचना:**
  - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण।
  - राज्य जैव विविधता बोर्ड/केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषद।
  - स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर 3,556 IRCCs जारी किए, जो कुल का 60% से अधिक है।

स्रोत: PIB

## पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन शुरू

### समाचार में

- केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएँ आमंत्रित की हैं, जो देश के सर्वोच्च

नागरिक सम्मानों में से एक है।

- नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ हुई है और 31 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी।

### पद्म पुरस्कार

- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं, जिनकी स्थापना 1954 में की गई थी।
- इन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:
  - **पद्म विभूषण:** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए।
  - **पद्म भूषण:** उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए।
  - **पद्म श्री:** किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए।
- ये पुरस्कार “विशिष्ट कार्य” की पहचान करते हैं और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों या सेवाओं के लिए दिए जाते हैं।
- सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, चाहे उनकी जाति, व्यवसाय, पद या लिंग कुछ भी हो।
  - हालाँकि, सरकारी सेवक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी सहित) सामान्यतः पात्र नहीं होते, सिवाय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के।
- सरकार पद्म पुरस्कारों को “जन पद्म” में रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नागरिक योग्य व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित हों।
  - स्व-नामांकन भी अनुमत है।
  - नामांकन में नामांकित व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्धियों का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए।
  - नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
- ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं।
  - राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो सामान्यतः मार्च/अप्रैल में आयोजित होते हैं।

स्रोत: PIB

